बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

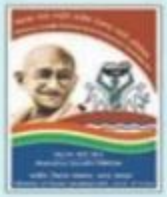

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत "वन–महोत्सव–सह–सघन वृक्षारोपण अभियान"

1 – 15 अगस्त 2019

50 लाख पौधा रोपने का कार्यक्रम।

पेड़ लगाओ
भूजल स्तर बढ़ाओ

आओ मिलजुल कर सभी वृक्ष लगायें,
धरा की हरियाली और जीवन की
खुशहाली बढ़ायें।

वन–महोत्सव समारोह
जिला मुख्यालय, प्रखंड एवं सभी ग्राम पंचायतों में

सरकारी भूमि पर सामाजिक वानिकी

- ग्रामीण सड़कों/ नहर/ नदी तट के किनारे वृक्षारोपण
- जल संरक्षण/ संचयन संरचनाओं के चारो तरफ वृक्षारोपण
- सरकारी संस्थानों में वृक्षारोपण
- 200 पौधों की एक इकाई एवं प्रत्येक इकाई पर 2 वन पोषक

वन पोषक बनने की शर्त

- वन पोषक हेतु आवेदन अपने निवास के राजस्व ग्राम सीमा के अंतर्गत ही किया जा सकता है
- वृक्षारोपण स्थल से दूरी के आधार पर आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी
- दिव्यांगो,एकल महिला परिवारों, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों को योजना में शामिल होने के लिए वरीयता दी जाएगी
- यथा संभव जीविका की महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी

वन पोषक के कर्तव्य

- पौधों की सुरक्षा एवं समुचित रख–रखाव करना
- पौधों में खाद एवं कीटनाशक डालना
- पौधों का पटवन करना
- मृत पौधों को बदलवाने का परामर्श देना

वन पोषक के अधिकार

- प्रत्येक वन पोषक को 80 प्रतिशत या अधिक पौधों की उत्तरजीविता रहने पर 8 मानव दिवस प्रतिमाह (1416 रु.) की राशि मजदूरी के रुप में दी जाएगी
- पांच वर्ष के बाद प्रत्येक वन पोषक परिवार को 50–50 पौधे वृक्ष संरक्षण योजना के तहत वृक्ष पट्टा के रुप में दिया जाएगा,जिसमें वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल,फूल आदि का लाभ उन्हें मिलेगा

सभी ग्राम पंचायत में सघन वृक्षारोपण अभियान

निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी

- लाभुकों की स्वंय की भूमि पर 200 पौधों की एक इकाई का वृक्षारोपण
- लाभुक के पास पर्याप्त भूमि नहीं होने पर 2 या 3 किसानों की भूमि मिलाकर भी 200 पौधे लगाये जा सकते है
- लाभुक के पसंद के काष्ठ/फलदार पौधे लगाए जाएंगे
- पौधों की सुरक्षा के लिए बांस गैबियन का प्रावधान
- पौधों के पटवन हेतु बापाकल एवं पानी टंकी–सह–ट्रॉली का प्रावधान
- 200 पौधों की प्रत्येक इकाई पर लाभुक परिवार के एक सदस्य को वन पोषक बनाया जाएगा– 5 वर्षों के लिए
- 80 प्रतिशत या अधिक पौधों की उत्तरजीविता होने पर 8 मानव दिवस प्रतिमाह (1416 रु.) की राशि मजदूरी के रुप में दी जाएगी
- वृक्षों के उपर लाभुक का पूर्ण अधिकार

मनरेगा अंतर्गत निजी भूमि पर वृक्षारोपण की अनुमान्यता

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
- घुमन्तु जनजाति
- गरीबी रेखा के नीचे का परिवार
- महिला प्रधान/शारीरिक रुप से दिव्यांग प्रधान वाले परिवार
- भूमि सुधार के लाभार्थी (पर्चाधारी)
- इंदिरा / प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी
- अनुसूचित जाति तथा अन्य पारम्परिक (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के अधीन लाभार्थी
- लघु या सीमान्त कृषक

PR No - 05750 (RDD) D. 2019-20

निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु आवेदन ग्राम पंचायत अथवा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थान के जनप्रतिनिधिगण एवं सभी ग्रामीणों से अपील है कि मनरेगा अंतर्गत वन महोत्सव–सह–सघन–वृक्षारोपण अभियान में भाग लेकर इसे सफल बनायें

प्रभात खबर
Fri, 02 August 2019
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/42053143